संविदा के सामान्य सिद्धांत

प्रश्न 1 **किन परिस्थितियों मे संविदा शून्य करणीय हो जाती है कानूनी प्रावधान एवं दृष्टांत सहायता से समझाकर लिखिये**

Ans **शून्यकरणीय (Voidable) संविदा**-शून्यकरणीय संविदा की परिभाषा धारा 2 (झ) में दी गई है। इसके अनुसार जब कोई करार पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर प्रवर्तनीय होता है और दूसरे पक्षकार अथवा दूसरे पक्षकारों के विकल्प पर प्रवर्तनीय नहीं होता है तो इसे शून्यकरणीय संविदा कहते हैं। इस प्रकार शून्यकरणीय संविदा वह है जिसके एक पक्षकार को यह विकल्प प्राप्त होता है कि वह संविदा को स्वीकार करे या रद्द करे। अर्थात् शुन्यकरणीय संविदा दोनों पक्षकारों में से एक के विकल्प पर शून्यकरणीय होती है। इस प्रकार शून्यकरणीय संविदा की दशा में जिस पक्षकार को संविदा को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार प्राप्त होता है वह यदि संविदा को रद्द कर देता है अथवा अस्वीकार कर देता है तो संविदा शून्य हो जाती है। परन्तु यदि वह संविदा को स्वीकार कर लेता है तो संविदा पूर्णत: विधिमान्य हो जाती है और दोनों ही पक्षकारों पर बन्धनकारी हो जाती है। शून्यकरणीय संविदा तब तक विधिमान्य होती है जब तक कि उस पक्षकार के द्वारा रद्द नहीं कर दी जाती है जिसके विकल्प पर यह शून्यकरणीय है। यदि ऐसा पक्षकार संविदा को रद्द करना चाहता है तो उसे युक्तियुक्त समय के भीतर रद्द कर देना चाहिए ; यदि संविदा रद्द करने से पूर्व किसी तृतीय व्यक्ति का संविदा की विषय वस्तु में अधिकार प्राप्त हो जाता है जिसे उस तृतीय व्यक्ति ने सद्भावपूर्वक और मूल्य देकर प्राप्त किया है तो ऐसी स्थिति में संविदा को रद्द नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए क ख के कपट के कारण ख को अपना घोड़ा बेचता है। इससे पहले कि क को कपट का ज्ञान हो और वह संविदा को रद्द करे ख उस घोड़े को ग को बेच देता है। ग ने मूल्य देकर सद्भावपूर्वक उस घोड़े को क्रय किया है। ग को अच्छा स्वत्व प्राप्त होगा और वह क को घोड़ा वापस करने के लिये बाध्य नहीं होगा।

निम्नलिखित दशाओं में संविदा शन्यकरणीय होती है

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

(1) धारा 19 और धारा 19-क-जब करार के लिये पक्षकार की सम्मति , उत्पीड़न, अनुचित असर (प्रभाव) , कपट या दुर्व्यपदेशन (Misrepresentation) द्वारा प्राप्त की जाती है तो उस करार को ऐसी संविदा मानते हैं जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसकी सम्मति इस प्रकार प्राप्त की गई है। उदाहरण के लिए, क करार के लिए ख की सम्मति उत्पीड़न द्वारा प्राप्त करता है। यह करार ऐसी संविदा है जो ख के विकल्प पर शून्यकरणीय है। अर्थात् यदि ख चाहे इस संविदा को स्वीकार करके दोनों पक्षकारों पर बन्धनकारी बना सकता है अथवा यदि वह चाहे तो इसे अस्वीकार करके शून्य बना सकता है।

(2) धारा 53-जब संविदा में पारस्परिक , प्रतिज्ञायें होती हैं और संविदा का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने से रोकता है तो संविदा उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होगी जिसे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने से रोका गया है। इसके साथ ही जिसके पक्षकार को इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने से रोका गया है वह पक्षकार संविदा के पालन न करने के कारण हुई हानि के लिए दूसरे पक्षकार से (जिसने उसे संविदा का पालन करने से रोका है) प्रतिकर वसूल कर सकता है।

(3)धारा 55-जब संविदा का पक्षकार किसी बात को विनिर्दिष्ट समय पर या उससे पूर्व करने की प्रतिज्ञा करता है और उसे उक्त समय पर या उससे पूर्व करने में असफल रहता है तो उक्त संविदा अथवा उसका उतना भाग जिसका पालन नहीं किया गया है प्रतिज्ञाग्रहीता के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा बशर्ते पक्षकारों का आशय यह रहा हो कि समय संविदा का मर्म (essence) होगा। शून्यकरणीय संविदा के रद्द किये जाने के परिणाम का उल्लेख धारा 64 में मिलता है। धारा 64 के अनुसार जब कोई व्यक्ति , जिसके विकल्प पर संविदा शून्यकरणीय है , संविदा को विखण्डित या रद्द करता है , तो दूसरे पक्षकार के लिए संविदा के अपने भाग का पालन करना आवश्यक नहीं होता है। इसके साथ ही धारा 64 यह भी

उपबन्धित करती है कि संविदा को विखण्डित या रद्द करने वाला पक्षकार , यदि उसने संविदा के दूसरे पक्षकार से संविदा के अन्गर्गत कोई लाभ प्राप्त किया है , तो ऐसे लाभ को उस व्यक्ति को, जिससे उसने प्राप्त किया है, वापस कर देगा।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा के सामान्य सिद्धांत

शन्यकरणीय संविदा और शून्य करार में भेद-जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं उन्हें शुन्य करार कहते हैं। 1 धारा 24 से 30 तक के अन्तर्गत कतिपय करारों को शून्य घोषित किया गया है जिसकी संक्षिप्त विवेचना ऊपर की जा चुकी है। धारा 11 से स्पष्ट होता है कि जो करार असक्षम व्यक्तियों द्वारा किया जाता है वह शून्य होता है। धारा 20 के अनुसार जो करार दोनों पक्षकारों द्वारा तथ्य की बात के बारे में भूल के अधीन किये जाते हैं वे भी शून्य होते हैं। जो करार अवैध होते हैं, वे भी शून्य होते हैं।

शुन्य करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है। यह प्रभावरहित होता है और पक्षकारों के मध्य अधिकार का दायित्व का सृजन नहीं करता है। करार का कोई भी पक्षकार करार का प्रवर्तन नहीं करा सकता है। शून्यकरणीय संविदा दोनों पक्षकारों में से एक के विकल्प पर राज्यकरणीय होती है। अर्थात् संविदा दोनों पक्षकारों में से एक के विकल्प पर प्रवर्तनीय होती है। शुन्यकरणीय संविदा की दशा में संविदा के एक पक्षकार को यह विकल्प प्राप्त होता है कि वह संविदा को स्वीकार करे अथवा रद्द करे। जब वह पक्षकार संविदा को स्वीकार कर लेता है यह दोनों ही पक्षकारों पर बन्धनकारी हो जाती है परन्तु यदि वह संविदा को अस्वीकार कर देता है या रद्द कर देता है तो संविदा शून्य हो जाती है। इस प्रकार शून्य करार किसी भी 'पक्षकार द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है जबकि शून्यकरणीय संविदा पक्षकारों में से किसी एक के विकल्प पर प्रवर्तनीय होती है अर्थात् संविदा के एक पक्षकार को यह विकल्प प्राप्त होता है कि वह चाहे तो उसे प्रवर्तित करा सके और जब वह पक्षकार उस संविदा को स्वीकार कर लेता है तो पक्षकारों के मध्य अधिकार अथवा दायित्व का सृजन हो जाता है।

शून्य करार आरम्भ से ही प्रभावरहित होता है और संविदा की स्थिति तक पहुँच ही नहीं पाता परन्तु शून्यकरणीय संविदा तब तक विधिमान्य होती है जब तक कि उस पक्षकार द्वारा यह रद्द नहीं की जाती है जिस पक्षकार के विकल्प पर यह शून्यकरणीय है। __शून्यकरणीय संविदा की दशा में यदि संविदा रद्द करने से पूर्व किसी तृतीय व्यक्ति का संविदा की विषय-वस्तु में अधिकार प्राप्त हो जाता है और वह तृतीय व्यक्ति उस अधिकार को सद्भावपूर्वक मूल्य देकर प्राप्त किया है

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

तो उक्त. तृतीय व्यक्ति को अच्छा स्वत्व प्राप्त होगा 2 परन्तु शून्य करार की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। अर्थात् शून्य करार की स्थिति में यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कोई वस्तु प्रदान करता है और यह पक्षकार किसी तृतीय व्यक्ति को वही वस्तु दे देता है तो तृतीय व्यक्ति को अच्छा स्वत्व प्राप्त नहीं होगा, भले ही उस तृतीय व्यक्ति ने सद्भावपूर्वक मूल्य देकर उस वस्तु को प्राप्त किया है और उस तृतीय व्यक्ति को उक्त वस्तु उसके वास्तविक स्वामी को वापस करना पड़ेगा।

शून्य (Void) संविदा-धारा 2 (ञ) के अनुसार जब संविदा की विधि द्वारा प्रवर्तनीयता समाप्त हो जाती है तो जब इसकी विधि द्वारा प्रवर्तनीयता समाप्त होती है, यह शून्य हो जाती है। इस प्रकार शून्य संविदा से तात्पर्य ऐसी संविदा से है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। संविदा ऐसी भी होती है जिसका पालन करना उस समय सम्भव होता है जबकि उसको सृजित किया जाता है परन्तु बाद में कुछ कारण से उसका पालन करना असम्भव हो जाता है अथवा विधिविरुद्ध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जब संविदा का पालन करना असम्भव हो जाता है, तो यह शून्य हो जाती है। जब संविदा शून्य हो जाती है तो यह प्रभावरहित हो जाती है और पक्षकारों के अधिकार और दायित्व भी समाप्त हो जाते हैं। शून्य संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है अर्थात् संविदा का कोई भी पक्षकार संविदा का प्रवर्तन नहीं करा सकता है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्रश्न 2 असम्यक असर की परिभाषा कीजिए संविदा पर असम्यक असर का क्या प्रभाव पड़ता है

Ans **असम्यक् असर (Undue Unfluence)**धारा 16 के अन्तर्गत असम्यक् असर की परिभाषा इस प्रकार दी गई है

(1) जहाँ कि पक्षकारों के बीच विद्यमान सम्बन्ध ऐसे हैं कि पक्षकारों में से एक दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और उस स्थिति का उपयोग उस दूसरे से अपेक्षाकृत अनुचित प्रलाभ अभिप्राप्त करने के लिये करता है, वहाँ संविदा के बारे में कहा जाता है कि वह असम्यम् असर द्वारा उत्प्रेरित की गई है। मेरा

(2) विशेषतया तथा पूर्ववर्ती सिद्धान्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी व्यक्ति के बारे में समझा जाता है कि वह

(क) जहाँ वह उस दूसरे पर वास्तविक या प्रतिभाषित प्राधिकार रखता है , या जहाँ कि वह दूसरे के साथ न्यासवत् सम्बन्ध में है : या

(ख) जहाँ कि वह ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करता है जिसकी मानसिक सामर्थ्य, आयु, रुग्णता या मानसिक या शारीरिक पीड़ा के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभावित

की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है।

(3) जहाँ कि कोई व्यक्ति , जो किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो , उसके साथ संविदा करता है , और वह संव्यवहार देखने से ही या दिये गये साक्ष्य केआधार पर लोकात्माविरुद्ध प्रतीत होता है वहाँ यह साबित करने का भार कि ऐसी संविदा असम्यक असर से उत्प्रेरित नहीं की गई थी उक्त व्यक्ति पर होगा जो उस अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में था। ।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

इस उपधारा की कोई भी बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1872 की धारा 111 के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

दृष्टान्त

(क) क, जिसने अपने पुत्र ख को उसकी अप्राप्तवयता के दौरान में धन उधार दिया था, ख के प्राप्तवय होने पर अपने पैत्रिक असर के दुरुपयोग द्वारा उससे उस उधार धन की बाबत शोध्य राशि से अधिक रकम के लिये एक बन्धपत्र अभिप्राप्त कर लेता है। क असम्यक् असर का प्रयोग करता है।

(ख) रोग या आयु से क्षीण हुये मनुष्य क पर ख का , जो असर उसके चिकित्सीय परिचारक के नाते है , उस असर से ख को उसकी वृत्तिक सेवाओं के लिए एक अयुक्तियुक्त राशि देने का करार करने के लिये क उत्प्रेरित करता है। ख असम्यक् असर का प्रयोग करता

(ग) क अपने ग्राम के साहूकार ख का ऋणी होते हुए एक नई संविदा करके ऐसे निबन्धनों पर धन उधार लेता है जो लोकात्माविरुद्ध प्रतीत होते हैं। यह साबित करने का भार कि संविदा असम्यक असर से उत्प्रेरित की गई थी ख पर है।

(घ) क एक बैंकार से उधार के लिये ऐसे समय में आवेदन करता है जब धन के बजार में तंगी है। बैंकार ब्याज की अप्रायिक ऊँची दर पर देने के सिवाय उधार देने से इन्कार कर देता है। क उन निबन्धनों पर उधार प्रतिग्रहीत करता है। यह संव्यवहार कारबार के मामूली अनुक्रम में हुआ है और यह संविदा असम्यक् असर से उत्प्रेरित नहीं है।"

विधिमान्य संविदा के लिए पक्षकारों की स्वतन्त्र सम्मति की आवश्यकता होती है। यदि किसी पक्षकार की सम्मति असम्यक् असर (प्रभाव) से प्राप्त की गई है तो संविदा उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होगी जिसकी सम्मति इस प्रकार प्राप्त की गई है

असम्यक असर की परिभाषा [धारा 16 (1)]-संविदा उस समय असम्यक् असर से प्रभावित कही जाती है जबकि पक्षकारों के बीच विद्यमान सम्बन्ध इस प्रकार का है कि उनमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

स्थिति में हैं और उसने उस स्थिति का प्रयोग दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किया है। इस प्रकार असम्यक असर के लिये एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार की इच्छा का अधिशासित करने की स्थिति में होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिये यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार की स्थिति में रहने वाले व्यक्ति ने अपनी स्थिति का प्रयोग करके दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त किया हो। इस प्रकार असम्यक असर के लिये निम्नलिखित आवश्यक हैं

(क) पक्षकारों के मध्य विद्यमान सम्बन्ध इस प्रकार का है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है; तथा

(ख) जो पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है , उसने अपनी इस स्थिति का प्रयोग करके दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त किया है।।

यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त दोनों ही बातें सिद्ध करने का भार उस पक्षकार पर है जो असम्यक् असर के आधार पर संविदा को निरस्त कराना चाहता है। अर्थात् संविदा का जो

पक्षकार असम्यक् असर के आधार पर संविदा को निरस्त कराने हेतु वाद चलाता है, उसे सिद्ध करना होगा कि संविदा का दूसरा पक्षकार उसकी इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में था और उसने अपनी उक्त स्थिति का प्रयोग करके उससे अनुचित लाभ प्राप्त किया। 1 यदि वह इस बात को सिद्ध नहीं कर पाता है कि दूसरा पक्षकार उसकी इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में था तो वह असम्यक् असर के आधार पर संविदा को शून्यकरणीय ठहराने का तर्क मान्य नहीं होगा। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रयोजन हेतु यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है , वह स्वयं लाभ प्राप्त किया हो। इस प्रयोजन के लिये इच्छा को अधिशासित करने वाला व्यक्ति स्वयं अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसमें वह हितबद्ध (interested) है, लाभ को प्राप्त कर सकता है अर्थात् यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और अपनी इस स्थिति का प्रयोग करके दूसरे पक्षकार की सम्मति ऐसी संविदा के लिए प्राप्त करता है जो किसी अन्य व्यक्ति

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

के लिए लाभप्रद है , तो ऐसी स्थिति में संविदा असम्यक् असर से उत्प्रेरित कही जायेगी। ___इस प्रकार असम्यक् असर के मामले में सर्वप्रथम यह सिद्ध करना होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि वह असम्यक् असर का प्रयोग किया है उसकी स्थिति ऐसी है कि वह दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित कर सके। इस बात के सिद्ध हो जाने पर कि उस व्यक्ति की स्थिति दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की थी तो भी शर्त पूरी नहीं होती है और फिर यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने अपनी इस स्थिति का प्रयोग दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया था। इस प्रकार केवल दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होना असम्यक असर के लिये पर्याप्त नहीं है। अतः यदि कोई कमचारी अपने नियोजक से आवासीय गृह किराये पर लेता है

और यह वचन देता है कि वह नियोजक की सेवा छोड़ने के बाद उस गृह को भी छोड़ देगा, तो ऐसी स्थिति में केवल इस आधार पर कि वह नियोजक की सेवा में है, उक्त प्रतिज्ञा .. असम्यक् असर से उत्प्रेरित नहीं कही जा सकती है।

Pgs National College of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्रश्न 3 पद्म (बाज़ी) की संविदा से आप क्या समझते है इसके आवश्यक तत्त्व क्या है व्याख्या कीजिये

Ans 5. **बाजी करार (पंद्यम तौर के करार)**

(धारा 30) धारा 30 यह स्पष्ट कर देती है कि बाजी (पंद्यम) लगाने की अनुरीति के करार शून्य होते हैं। इस धारा के अनुसार बाजी लगाने की अनुरीति के करार शून्य होते हैं और जिस चीज के बारे में अभिकथित है कि वह बाजी लगाकर जीती गई है उसकी वसूली के लिये वाद नहीं चलाया जा सकता है। इसी प्रकार इस धारा के अनुसार ऐसी चीज की वसूली के लिए भी वाद नहीं चलाया जा सकता है जो किसी व्यक्ति को किसी खेल के या अन्य अनिश्चित घटना के , जिसके बारे में बाजी लगाई गई है, फलाश्रित रहने के लिये सौंपी गई है। इस धारा में कुछ अपवाद भी उल्लिखित हैं। यह धारा ऐसे चन्दे या अंशदान करने के करार को, जो कि घुड़दौड़ के विजेता को 500 रु० या अधिक की कीमत वाली किसी प्लेट, पुरस्कार या धनराशि को देने के लिये किया गया है किन्तु शून्य घोषित नहीं करती है। यह धारा घुड़दौड़ से सम्बन्धित किसी संव्यवहार को , जिसके सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294क लागू होती है , वैध नहीं करती है।

1. बाजी करार (पंद्यम के तौर के करार) का अर्थ

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

बाजी (पंद्यम) करार की परिभाषा इस धारा में नहीं दी गई है। **एन्सन** के अनुसार बाजी में एक अनिश्चित घटना के अवधारण (determination) का निश्चय होने पर द्रव्य या द्रव्य जैसी मूल्यवान वस्तु देने की प्रतिज्ञा होती है।

इस प्रकार यदि क ख से कहता है कि भारतीय टीम और पाकिस्तानी टीम के बीच होने वाले क्रिकेट मैच में भारतीय टीम जीतेगी जबकि ख कहता है कि भारतीय टीम नहीं जीतेगी

और दोनों करार करते हैं कि यदि भारतीय टीम जीतेगी तो ख क को 500 रु० देगा और यदि भारतीय टीम नहीं जीतेगी तो क ख को 500 रु० देगा। यह करार बाजी (पंद्यम) का करार है और इसलिये धारा 30 में शून्य होगा।

बाजी (पंद्यम) करार के निम्नलिखित तत्व हैं

(1) किसी अनिश्चित घटना के सम्बन्ध में करार के दोनों पक्षकार का विपरीत मत : बाजी करार के लिये यह आवश्यक है कि करार के दोनों पक्षकार का किसी अनिश्चित घटना के बारे में विपरीत मत हो **कार्लिल** बनाम **कारबोलिकस्मोक बाल कं0**के वाद में न्यायाधीश हाकिन्स ने बाजी करार की परिभाषा दी है। उसके अनुसार दोनों पक्षकारों को भविष्य की किसी अनिश्चित घटना के विषय में विपरीत मत रखना चाहिये। एन्सन ने इसके विपरीत मत व्यक्त किया है। एन्सन के अनुसार घटना भूतपूर्व , वर्तमान अथवा भविष्यकालीन कोई भी हो सकती है , केवल शर्त यह है कि पक्षकारों को घटना के परिणाम के बारे में ज्ञात न हो। इस प्रकार यदि कोई चुनाव हो चुका है परन्तु करार के पक्षकारों को इसके परिणाम के बारे में जानकारी नहीं है तो दोनों इसके परिणाम के बारे में शर्त लगा सकते हैं 4 -

(2) करार के प्रत्येक पक्षकार की जीतने या हारने की सम्भावना : बाजी-करार का दूसरा आवश्यक तत्व यह है कि करार के दोनों पक्षकारों को , घटना के निर्धारण या निश्चय होने पर , जीतने या हारने की सम्भावना होनी चाहिये। यदि करार का कोई पक्षकार जीत सकता है परन्तु हार नहीं सकता या हार सकता है परन्तु जीत नहीं सकता तो यह बाजी-करार नहीं हो सकता है। पक्षकारों का हारना या जीतना घटना के परिणाम पर निर्भर होना चाहिये। पक्षकारों का हारना या जीतना तब

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

तक अनिश्चित होता है जब तक कि घटना का परिणाम न ज्ञात हो जाय। इस प्रकार यदि घटना के निर्धारण पर या निश्चित होने पर दोनों पक्षकारों की हारने या जीतने की सम्भावना नहीं है तो करार बाजी-करार नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, **बाबा साहेब** ब० **राजाराम** के वाद में दो कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों के मध्य करार हुआ कि कुश्ती के दिन जो उनमें से नहीं आयेगा उसको दूसरे पक्षकार को 500 रु० हर्जाने के रूप में देना होगा। कुश्ती होने पर जीतने वाले को टिकट बेचने से प्राप्त राशि में से 1,125 रु०

दिये जायेंगे। कुश्ती के दिन एक पहलवान नहीं आया और इसलिये दूसरे पहलवान ने 500 रु० प्राप्त करने के लिए वाद चलाया। न्यायालय ने करार को बाजी करार नहीं माना क्योंकि जीतने वाले पहलवान को टिकटों के विक्रय से प्राप्त रकम में से 1,125 रु० दिया जाना था और हारने पर उसे अपने पाकेट से कुछ भी नहीं देना था और इस प्रकार प्रत्येक पक्षकार को जीतने की सम्भावना थी , परन्तु हारने की कोई सम्भावना नहीं थी।

डिगले ब० **हिग्स**के वाद में करार के दोनों पक्षकारों ने एक अन्य व्यक्ति के पास 200 पौंड जमा कर दिये और करार किया कि चलने की प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसे सम्पूर्ण रकम दे दी जायेगी और इस प्रकार हारने वाला 200 पौंड वापस नहीं ले सकेगा। उनमें स एक पक्षकार जीत गया और दूसरा हार गया परन्तु हारने वाले पक्षकार ने उस 200 पौंड को वापस प्राप्त करने के लिये वाद चलाया जो उसने जमा किया था। न्यायालय ने इसे 'बाजी करार ठहराया और निर्णय दिया कि वह अपनी रकम वापस लेने के लिए हकदार था। -

कारलिल बनाम **कारबोलिक स्मोक बाल कम्पनी** के वाद में प्रतिवादी कं० ने यह प्रतिज्ञा किया था कि यदि कोई व्यक्ति विहित तरीके से निश्चित अवधि तक कम्पनी द्वारा बनाये गये स्मोक बॉल के प्रयोग के बाद भी इन्फ्लुएन्जा से पीड़ित होता है तो कम्पनी उसे 100 पौंड देगी। वादी ने स्मोक बॉल का प्रयोग विहित ढंग से कम्पनी द्वारा उल्लिखित अवधि तक किया परन्तु इसके उपरान्त भी उसे इन्फ्लुएन्जा हो गया। उसने उक्त 100 पौंड के लिये वाद चलाया। न्यायालय ने

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

निर्णय दिया कि यह बाजी-करार नहीं था क्योंकि को इन्फ्लुएन्जा न होता तो कम्पनी को वादी से कुछ भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं था।

यह भी उल्लेखनीय है कि घटना के घटित होने अथवा उसके परिणाम पर किसी पक्षकार का नियन्त्रण नहीं होना चाहिये।

(3) पक्षकारों का घटना में दांव या शर्त के अतिरिक्त अन्य कोई हित या स्वार्थ न हो। पक्षकारों में से किसी का भी उस घटना के होने अथवा न होने में जीतने या हारने वाले धन या वस्तु के अतिरिक्त कोई अन्य हित या स्वार्थ नहीं होना चाहिये और न ही इस करार के लिए कोई अन्य प्रतिफल दिया गया होना चाहिये। यह तथ्य बाजी-संविदा और बीमा संविदा में भेद उत्पन्न करता है। बाजी संविदा में पक्षकार की रुचि या हित केवल दांव या शर्त की धन या वस्तु पाने में होता है परन्तु बीमा संविदा में पक्षकारों का हित जिस वस्तु या व्यक्ति का बीमा कराया गया है उसकी सुरक्षा में होता है। बीमा-संविदा तभी विधिमान्य होती है जबकि बीमा कराने वाले का बीमा कराई गई वस्तु या बीमा कराये गये व्यक्ति में उसमें बीमा योग्य हित हो। बीमा योग्य हित से तात्पर्य है कि उसका हित बीमा कराई गई वस्तुत या बीमा कराये गये व्यक्ति की सुरक्षा में होना चाहिये। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जब अपनी पत्नी के जीवन का बीमा कराता है तो उसकी रुचि अथवा हित पत्नी के जीवन की सुरक्षा में होता है। इसी प्रकार क अपने मकान का अग्नि-बीमा कराता है। इसमें उसकी रुचि या हित बीमा कराये गये मकान की सुरक्षा में होता है और उसका हित केवल बीमाकृत रकम में नहीं होता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का बीमा कराता है अथवा किसी व्यक्ति का जीवन बीमा कराता है परन्तु उसमें उसका बीमा योग्य हित (insurable interest) नहीं है तो यह भी बाजी-संविदा होगी और शून्य होगी।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्रश्न 4 संविदा भंग की दशा में पक्षकार को प्राप्त होने वाले उपचारों को स्पष्ट कीजिए

Ans **संविदा-भंग के लिए उपचार** जब एक पक्षकार संविदा-भंग करता है तो दूसरे पक्षकार को निम्नलिखित अधिकार सुलभ होते हैं :

1. संविदा का विशिष्ट पालन और व्यादेश (Injunction) : कतिपय दशाओं में न्यायालय विशिष्ट अनुतोष अधिनियम , 1963 (specific relief act, 1963) के अन्तर्गत संविदा के विशिष्ट पालन का आदेश या संविदा-भंग को रोकने के लिये व्यादेश (injunction) दे सकता है। संविदा के विशिष्ट पालन का आदेश देना या भंग रोकने के लिये व्यादेश देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है , यद्यपि न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं बल्कि युक्तियुक्त रूप से न्यायिक सिद्धान्तों के अनुसार करेगा। संविदा के विशिष्ट पालन और व्यादेश का उपबन्ध विशिष्ट अनुतोष अधिनियम , 1963 में मिलता है।

II. क्वाण्टम मेरियट (Quantum Meruit)

क्वाण्टम मेरियट का अर्थ है , किये गये कार्य के लिए युक्तियुक्त पारिश्रमिक की देनगी। सामान्य नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी धन के बदले में कोई कार्य या सेवा करने की प्रतिज्ञा करता है तो ऐसी स्थिति में उस कार्य या सेवा को पूरा किये बिना धन की माँग नहीं कर सकता है अर्थात् वह उक्त कार्य या सेवा का कुछ भाग करके उसके लिये पारिश्रमिक या प्रतिकर की माँग नहीं कर सकता है। क्वाण्टम मेरियट का सिद्धान्त इस सामान्य नियम का अपवाद है। यदि एक पक्षकार कोई कार्य करने की प्रतिज्ञा करता है परन्तु दसरा पक्षकार उसे अपना कार्य पूरा करने से रोकता है तो ऐसी स्थिति में वह उक्त दूसरे पक्षकार से किये गये कार्य के लिये युक्तियुक्त पारिश्रमिक की माँग कर सकता है। जब एक

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

पक्षकार संविदा का पालन करने से पूर्ण रूप से इन्कार कर देता है या संविदा का पालन करने में अपने को अयोग्य बना लेता है तो दूसरा पक्षकार चाहे तो संविदा-भंग के लिये वाद चला सकता है या संविदा को अपखण्डित करके क्वाण्टम मेरियट के आधार पर वास्तव में किये गये कार्य के लिये युक्तियुक्त पारिश्रमिक या प्रतिकर के लिए वाद चला सकता है। 4 अंग्रेजी विधि में विकसित क्वाण्टम मेरियट का सिद्धान्त भारत में भी लागू किया जाता है।

क्वाण्टम मेरियट के आधार पर दावा कई दशाओं में किया जा सकता है। जिन दशाओं में क्वाण्टम मेरियट के आधार पर दावा किया जा सकता हैं वे इस प्रकार हैं :

1. जब संविदा का एक पक्षकार संविदा-भंग करता है अथवा दूसरे पक्षकार को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने से रोकता है । जब संविदा का एक पक्षकार संविदा भंग करता है अथवा संविदा-पालन करने में अपने को अयोग्य बना लेता है अथवा दूसरे पक्षकार को अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने से रोकता है तो दूसरा पक्षकार संविदा को समाप्त मान कर किए गए कार्य के लिए युक्तियुक्त पारिश्रमिक की माँग कर सकता है।

ऐसी दशा में क्वाण्टम मेरियट के आधार पर दावा करने के लिये निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है :

(i) संविदा के एक पक्षकार ने संविदा के अन्तर्गत कुछ कार्य कर दिया है अर्थात् संविदा के एक पक्षकार ने संविदा के कुछ भाग का पालन कर दिया है।

(ii) संविदा का दूसरा पक्षकारसंविदा का पालन करने से पूर्ण रूप से इन्कार कर देता है या संविदा का पालन करने में अपने को अयोग्य बना लेता है या दूसरा पक्षकार पहले पक्षकार को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने से रोकता है।

(iii) पहला पक्षकार जिसने संविदा के कुछ भाग का पालन किया है , वह दूसरे पक्षकार द्वारा संविदा-भंग किये जाने पर संविदा के पालन से अपने को मुक्त करने का निर्णय लेता है अर्थात् संविदा को अपखण्डित करने या समाप्त मानने का निर्णय लेता है और किये गये कार्य के लिये युक्तियुक्त पारिश्रमिक हेतु कार्यवाही करता है। । उदाहरण के लिये क, ख को 30 किलो चीनी देने की संविदा

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

करता है। जब क , ख को 20 किलो चीनी दे देता है तो ख आगे चीनी लेने से इन्कार कर देता है। क, ख से दी गई 20 किलो चीनी की कीमत वसूल कर सकता है।

इसी प्रकार यदि प्रतिवादी वादी से अपनी पत्रिका में प्रकाशित करने के लिये कोई लेख लिखने की संविदा करता है और जब वादी कुछ लिख लेता है तो प्रतिवादी अपनी पत्रिका का प्रकाशन बन्द कर देता है। ऐसी स्थिति में वादी किये गये कार्य के लिये युक्तियुक्त पारिश्रमिक वसूल कर सकता है। ___ यह उल्लेखनीय है कि क्वाण्टम मेरियट के आधार पर वह पक्षकार दावा नहीं कर सकता है जो स्वयं संविदा-भंग करता है। अतः यदि कोई पक्षकार संविदा के कुछ भाग का पालन करने के बाद आगे पालन करने से इन्कार कर देता है या पालन करने में अपने को अयोग्य बना लेता है तो जितना कार्य उसने किया है उसके लिये दूसरे पक्षकार से युक्तियुक्त पारिश्रमिक का मुआवजा वसूल नहीं कर सकता है।

(2) संविदा के अन्तर्गत मूल्य अथवा पारिश्रमिक विहित न होने की दशा में
क्वाण्ट मेरियट का अनुतोष वहाँ भी अनुज्ञात किया जाता है जहाँ संविदा के अनुसरण में माल की आपूर्ति की जाती है अथवा कार्य किया जाता है और करार के अन्तर्गत मूल्य अथवा पारिश्रमिक नियत नहीं होता है। ऐसी दशा में क्वाण्टम मेरियट के आधार पर युक्तियुक्त मूल्य अथवा युक्तियुक्त पारिश्रमिक दिया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि यदि प्रवर्तनीय संविदा विद्यमान है और दिए गए माल या किए गए कार्य के लिए मूल्य या पारिश्रमिक संविदा के अन्तर्गत विहित है तो ऐसी दशा में क्वाण्टम मेरियट के आधार पर नहीं बल्कि संविदा के अनुसार मूल्य अथवा पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा 4

(3) शून्य करार या संविदा की दशा में : यदि विधिमान्य संविदा के लिए विहित आवश्यक शर्तों की पूर्ति न होने के कारण प्रवर्तनीय संविदा का निर्माण नहीं होता है अर्थात् शून्य संविदा उत्पन्न होती है तो ऐसी दशा में किए गए कार्य के लिए क्वाण्टम मेरियट के आधार पर , युक्तियुक्त पारिश्रमिक के लिए दावा किया जा सकता है। क्वाण्टम मेरियट अर्थात् युक्तियुक्त पारिश्रमिक अथवा मूल्य प्राप्त करने का अधिकार विधि द्वारा दिया जाता है और इसे प्रदान करने के लिए किसी

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

संविदा की आवश्यकता नहीं होती है। क्वाण्टम मेरियट का उपचार संविदा कल्प उपचार (quasi-contractual remedy) है । इस उपचार का आधार संविदा नहीं है। परिणामस्वरूप शून्य करार के अन्तर्गत किए गए कार्य के लिए भी युक्तियुक्त पारिश्रमिक की माँग की जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक वाद! में वादी को कम्पनी का प्रबन्ध-निदेशक नियुक्त किया गया। उसे अपने कार्यों के लिए पारिश्रमिक मिलता था। उसकी नियुक्ति जिन निदेशकों द्वारा की गई थी, वे नियत समय में योग्यता अंश न लेने के कारण संगम-अनुच्छेद के अनुसार निदेशक के रूप में कार्य करने में अक्षम थे। परिणामस्वरूप जिन निदेशकों ने उसकी नियुक्ति की वे योग्यता अंश नियत समय के अन्दर न लेने के कारण कार्य करने में अक्षम थे। वादी प्रबन्ध-निदेशक के रूप में जितने समय तक कार्य कर चुका था, उसके लिए क्वाण्टम मेरियट के आधार पर युक्तियुक्त पारिश्रमिक प्रास करने का हकदार ठहराया गया। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि नियुक्ति सम्बन्धी संविदा शून्य थी और उसके आधार पर पारिश्रमिक की माँग नहीं की जा सकती थी, परन्त जितने समय तक वादी ने प्रबन्ध-निदेशक के रूप में कार्य किया था, उसके लिए वह क्वाण्टम मेरियट के सिद्धान्त के आधार पर युक्तियुक्त पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता था। . इसी प्रकार यदि आशयित संविदा के अन्तर्गत सरकार को सेवायें या वस्तुयें प्रदान की जाती हैं और भारतीय संविदा के अनुच्छेद 299 की औपचारिकता पूरी न होने के कारण संविदा शून्य हो जाती है तो सेवायें या वस्तुयें प्रदान करने वाला व्यक्ति सरकार से युक्तियुक्त पारिश्रमिक अथवा युक्तियुक्त मूल्य वसूल कर सकता है।

(4) जब संविदा शुन्य हो जाती है : जब निर्माण के समय संविदा विधिमान्य एवं प्रवर्तनीय होती है परन्तु बाद में किसी ऐसी घटना के घटित होने के कारण जिसे प्रतिज्ञाकर्ता रोक नहीं सकता था , संविदा का पालन असम्भव हो जाता है अथवा विधिविरुद्ध हो जाता है तो नैराश्य के सिद्धान्त (Doctrine of frustration) के आधार पर संविदा शून्य हो जाती है और पक्षकार संविदा पालन के दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। परन्तु संविदा के विफल या व्यर्थ होने के पूर्व यदि कोई धन दिया गया है तो धन देने वाला पक्षकार इसे वसूल कर सकता है। जब संविदा

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

नैराश्य के आधार पर शून्य हो जाती है तो जिस व्यक्ति ने इसके शुन्य होने के पूर्व इसके अन्तर्गत कोई लाभ प्राप्त किया है. उसे वह लाभ उस व्यक्ति को जिससे प्राप्त किया है, वापस करना पड़ेगा या उसके लिए प्रतिकर देना पड़ेगा।

(5) संविदा का पालन दोषपूर्ण होने की दशा में : यदि संविदा का पालन तो किया गया है परन्तु पालन में कुछ दोष है तो संविदा में विहित धन वसूल किया जा सकता है परन्तु उसमें से वह धन घटा दिया जाएगा जो उस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए क ख के भवन की मरम्मत 15,000 रु० के लिए करने की संविदा करता है। वह मरम्मत तो करता है परन्तु वह संविदा के अनुरूप नहीं है बल्कि उसमें कुछ दोष है। दोष दूर करने में 5,000 रु० खर्च होता है। क (15,000 रु० -5,000 रु०) 10,000 रु० । ख वसूल कर सकता है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.